रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 01, 2014/पौष 11, 1935
No. 01] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 01, 2014/PAUSHA 11, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना संख्या का.आ. 1199(अ), दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र (एल डी आर ए) नीति में फर्म हाउसों के संबंध में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात का लाभ उठाने के लिए प्रभार ।

का.आ. 01(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1199(अ) क्रम संख्या 3 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के अनुपालन में दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र में फार्म हाउसों के संबंध में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ ए आर) का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रभारों को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

श्रेणी 1 क्षेत्र अर्थात् दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका में अवस्थित, के अंतर्गत कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र में फार्म हाउसों के संबंध में देय प्रभारों में दो घटक शामिल होंगे ।

1. **उपयोग परिवर्तन प्रभार :** 630 रु. प्रति वर्ग मीटर
2. **अतिरिक्त निर्माण के लिए प्रभार :**

20 से अधिक और 25 एफ ए आर तक अतिरिक्त निर्माण के लिए प्रभार 16000 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूले जायेंगे । हालांकि 25 से अधिक और 30 एफ ए आर तक के मामले में 20 एफ ए आर से अधिक के पूरे क्षेत्र के लिए 18000 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से वसूल किये जायेंगे

एल.डी.आर.ए. में फार्म हाउसों के नियमन के लिए समेकित दरें

उपरोक्त दरों को अपनाते हुए, उदाहरण के रूप में 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मीटर) के लिए एल.डी.आर.ए. में फार्म हाउसों के मामले में देय प्रभार की दरें निम्नलिखित होंगी ।

उपयोग किया गया एफ. ए. आर	20 से अधिक अतिरिक्त एफ. ए. आर.	वर्ग मीटर में परिवर्तित	श्रेणी–I क्षेत्र के अंतर्गत फार्म हाउस (प्रभार लाख रु. में)
20	0	0	25.20
25	5	200	57.20
30	10	400	97.20

श्रेणी–I अर्थात दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका के बाहर अवस्थित फार्म हाउसों के लिए 25 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाएगी ।

दिनांक 10–5–2013 की अधिसूचना की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

ये प्रभार भारत सरकार द्वारा आगे संशोधन तथा अधिसूचना जारी करने तक लागू रहेंगे ।

[फा. सं. एफ. 6(18)2012/ए ओ (पी)]

असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2013

Charges for availing additional Floor Area Ratio in respect of Farmhouses in the Low Density Residential Area (LDRA) policy published vide Notification No. S.O. 1199(E), dated 10th May, 2013.

S.O. 01(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and in pursuance to the modifications notified *vide* Sl. No. 3 of Notification No. S.O. 1199(E), dated 10-5-2013, Delhi Development Authority as per the approval of the Central Government hereby notifies the following charges for availing additional FAR in respect of Farmhouses in the Low Density Residential Area.

The charges payable in respect of farm houses in Low Density Residential Area under category–I i.e. located in South Delhi, Central Delhi and Dwarka will consist of the following two components.

1. Use Conversion charges : Rs. 630 per sq. mtr.

2. Charges for excess construction:

The charges for excess construction beyond 20 and upto 25 FAR would be recovered @ Rs. 16,000 per sq.mtrs. However in case of FAR beyond 25 and upto 30, the charges would be recovered @ Rs. 18,000 per sq. mtr. for entire area beyond 20 FAR.

Consolidated Rates for Regularization of Farm Houses in LDRA.

By adopting the aforesaid rates, the following would be the illustrative rates of charges payable on Farm Houses in LDRA for 0.4 hectare (4000 Sqm).

FAR Utilized	Excess FAR over 20	Converted into Sq. Mtr.	Farm Houses under Category-I area (Charges in Lakhs of Rs.)
20	0	0	25.20
25	5	200	57.20
30	10	400	97.20

A rebate of 25% will be allowed for Farm Houses located outside Category-I areas i.e. South Delhi, Central Delhi and Dwarka.

The other terms and conditions of Notification dated 10.05.2013 will remain unchanged.

These charges will remain in force till further modification and notification by the Govt. of India.

[F. No. F. 6(18)2012/AO (P)]

ASMA MANZAR, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.